[2021] 9 एस. सी. आर. 476

माजी सनेम्मा @सान्यासीराव

वी.

रेड्डी श्रीदेवी और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 7696)

16 दिसंबर, 2021

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

विलम्ब/विलंबः देरी की निंदा-उत्तरदाताओं द्वारा दूसरी अपील को प्राथमिकता देने में 1011 दिनों की देरी, उच्च न्यायालय द्वारा माफ कर दिया गया

न्यायालय-की शुद्धता-आयोजितः देरी को माफ करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह नहीं देखा कि 1011 दिनों की भारी देरी को समझाने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं बनाया गया था।

देरी की क्षमा से पता चला कि यह एक घोर लापरवाही और/या उत्तरदाताओं की ओर से उचित परिश्रम की कमी का मामला था। उच्च न्यायालय ने इस तरह की विलंबित अपील दायर करने में-इस प्रकार विलंब अस्पष्ट रहा-उच्च न्यायालय द्वारा विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग नहीं किया गया-उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि देरी को माफ कर दिया जाता है तो अपीलार्थी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अपील की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की जाएगी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि

उत्तरदाताओं की ओर से कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं की गई और न ही उन्हें उचित परिश्रम के अभाव का सामना करना पड़ा। में कथन

विलंब की क्षमा के लिए आवेदन से पता चला कि यह उच्च न्यायालय के समक्ष इस तरह की विलंबित अपील दायर करने में प्रतिवादियों की ओर से घोर लापरवाही और/या उचित परिश्रम की कमी का मामला था। [पैरा 6.1] [480-डी-ई] 2. देरी की माफी की मांग करने वाले आवेदन में कहा गया था कि वह 45 वर्ष की है और पूरी मुकदमेबाजी देख रही थी और वह स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थी और वह 01.01.2017 से 15.03.2017 तक बीमार हो गई थी और उसे उक्त अवधि के लिए बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई थी। लेकिन, ऐसा नहीं है

15.03.2017 के बाद की अवधि के लिए स्पष्टीकरण। इस प्रकार, 15.03.2017 से दूसरी अपील तक की देरी की अवधि वर्ष में दायर की गई थी।

2021 बिल्कुल भी समझाया नहीं गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने विवेकपूर्ण तरीके से विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया। [पैरा 6.2] [480-एफ-एच]

476 माजी सनेम्मा @सान्यासीराव बनाम। रेड्डी श्रीदेवी

& ओआरएस।

रामलाल, मोतीलाल और छोटेलाल बनाम। रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड

[1962] 2 एससीआर 762; P.K.Ramachandran वी। की स्थिति

केरल और अन्न। (1997) 7 एससीसी 556: [1997] 4 पूरक।

एस. सी. आर. 204; पुंडलिक जलम पाटिल बनाम। कार्यकारी अभियंता,

जलगांव मध्यम परियोजना (2008) 17 एस. सी. सी. 448: [2008]

15 एस. सी. आर. 135; बसावराज और अन्न। वी. विशेष भूमि

अधिग्रहण अधिकारी। (2013) 14 एससीसी 81: [2013] 8

एस. सी. आर. 227 पर निर्भर

मामला कानून संदर्भ

[1962] 2 एससीआर 762

उस पर भरोसा करें

पैरा 3.4

[1997] 4 पूरक। एससीआर 204

उस पर भरोसा करें

पैरा 3.4

[2008] 15 एससीआर 135

उस पर भरोसा करें

पैरा 3.4

[2013] 8 एससीआर 227

उस पर भरोसा करें

पैरा 3.4

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7696

2021 से।

उच्च न्यायालय के 16.09.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 के एस. ए. No.331 में 2021 के आई. ए. संख्या 1 में अमरावती में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए।

वाई. राजा गोपाल राव, के. प्रमोद कुमार, डी. गोपी कृष्ण, अधिवक्ता।

अपीलार्थी के लिए।

सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. दिनांकित विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

16.09.2021 आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा अमरावती में 2021 की आई. ए. संख्या 1 में 2021 की दूसरी अपील No.331 में पारित किया गया, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को प्राथमिकता देने में 1011 दिनों की भारी देरी को माफ कर दिया है, अपीलार्थी-मूल वादी-उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. कि इसमें अपीलकर्ता-मूल वादी ने एक दीवानी मुकदमा दायर किया

इसमें उत्तरदाताओं-मूल प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए 2013 की ओ. एस. संख्या 40 होना। कि विचारण न्यायालय ने 23.04.2016 दिनांकित निर्णय और डिक्री द्वारा उक्त वाद को खारिज कर दिया।

कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द करके और खारिज करके मुकदमे की अनुमति दी, निर्णय और डिक्री दिनांक 01.02.2017 द्वारा। कि मूल प्रतिवादी-यहाँ उत्तरदाताओं ने 04.02.2017 पर निर्णय और आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया। वही 10.03.2017 पर डिलीवरी के लिए तैयार था। कि लगभग 1011 दिनों की अवधि के बाद, मूल प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील को प्राथमिकता दी। देरी को माफ करने के लिए आवेदन भी 2021 का आई. ए. नंबर 1 के रूप में दायर किया गया था। के द्वारा

विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को प्राथमिकता देने में 1011 दिनों की देरी को माफ कर दिया है, जो इस न्यायालय के समक्ष अपील का विषय है।

3. इसमें अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील-मूल वादी ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने अपील को प्राथमिकता देने में 1011 दिनों की भारी देरी को माफ करने में गंभीर त्रुटि की है।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया था

एतऽ प्रतिवादी-उच्च न्यायालयक समक्ष अपीलकर्ता, दोसर अपीलकेँ प्राथमिकता देबामे 1011 दिनक भारी विलम्बक व्याख्या करैत।

3.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विशाल को माफ करते हुए भी

1011 दिनों की देरी से, उच्च न्यायालय ने यह भी नहीं देखा है कि दूसरी अपील को प्राथमिकता देने में 1011 दिनों की देरी को समझाते हुए पर्याप्त कारण दिखाया गया है।

3.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि देरी को माफ करने के लिए आवेदन में दिए गए कथनों पर विचार करने पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है

आई. डी. 1 के बाद की अवधि के लिए जून, 2021 तक-जब तक दूसरी अपील को प्राथमिकता नहीं दी गई, तब तक की देरी के बारे में कुछ भी बताए।

3.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और रामलाल, मोतीलाल और छोटेलाल बनाम रीवा के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना।

मध्यम परियोजना, (2008) 17 एस. सी. सी. 448 और बसावराज और अन्र। बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी। , (2013) 14 एस. सी. सी. 81, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए। 4. श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी Nos.1 और नंबर 2-अपीलार्थियों की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील, ने माज़ी सनेम्मा @सान्यासीराव बनाम।

रेड्डी श्रीदेवी और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश का समर्थन किया, जिसमें देरी को माफ करने और अपील को प्राथमिकता देने में देरी को माफ करने के लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब उच्च न्यायालय ने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है और देरी को माफ कर दिया है, तो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

देरी के तकनीकी आधार पर उनके खिलाफ, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है। 5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

6. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाता है कि विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने दूसरे आदेश को प्राथमिकता देने में 1011 दिनों की भारी देरी को माफ कर दिया है।

प्रत्यर्थी Nos.1 और इसमें 2-मूल प्रतिवादियों-द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील। देरी को माफ करते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

सीमा पर अस्वीकार करने की तुलना में। दिए गए कारणों को स्वीकार करते हुए इस तरह के दृष्टिकोण से देखा जाता है

याचिकाकर्ता द्वारा, इस दूसरी अपील को प्रस्तुत करने में देरी होनी चाहिए

क्षमा कीजिए। जाहिरा तौर पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं की गई है और न ही यह प्रयास उचित परिश्रम के अभाव से ग्रस्त है। यह याचिकाकर्ताओं की ओर से [2021] 9 एस. सी. आर. के लिए एक प्रामाणिक प्रयास प्रतीत होता है।

उनके दावे का प्रचार विशेष रूप से तब किया जाता है जब निचली अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसे अपीलीय अदालत द्वारा उलट दिया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को इस देरी के लिए लागत के माध्यम से प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। प्रत्यर्थी का यह तर्क कि समय के भीतर दूसरी अपील को प्राथमिकता देने में विफल रहने में याचिकाकर्ताओं की निष्क्रियता के कारण उसे मूल्यवान अधिकार प्राप्त हुए हैं, इस मामले में पाई गई परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण कारक नहीं हो सकता है।

परिणामस्वरूप, इस याचिका को विद्वान वकील को 2,000/- रुपये (केवल दो हजार रुपये) की लागत के भुगतान के अधीन दूसरी अपील दायर करने में 1011 दिनों की देरी को माफ करने की अनुमति दी जाती है।

उत्तरदाता के लिए 05.10.2021 पर या उससे पहले।

इस प्रकार उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने यह नहीं देखा है कि 1011 की भारी देरी की व्याख्या करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है दिन निकल गए हैं।

6.1 उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि देरी को माफ कर दिया जाता है तो अपीलार्थी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अपील की सुनवाई की जाएगी। गुणों पर। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि इसमें उत्तरदाताओं की ओर से कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं की गई है और न ही इससे कोई नुकसान हुआ है।

उचित परिश्रम की इच्छा। तथापि, विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन में किए गए अभिकथनों से, हमारी राय है कि यह एक घोर लापरवाही और/या उच्च न्यायालय के समक्ष इस तरह की विलम्बित अपील दायर करने में प्रत्यर्थियों की ओर से उचित परिश्रम की कमी का मामला था। 6.2 हम विलंब की क्षमा के लिए आवेदन में दिए गए कथनों को देख चुके हैं। वर्ष 2021 में दूसरी अपील दायर किए जाने तक की अवधि के लिए कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं है। देरी की माफी की मांग करने वाले आवेदन में कहा गया था कि वह 45 वर्ष की है और पूरी मुकदमेबाजी देख रही थी और वह स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थी और वह 01.01.2017 से 15.03.2017 तक बीमार हो गई थी और उसे उक्त अवधि के लिए बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई थी। हालाँकि, 15.03.2017 के बाद की अवधि के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इस प्रकार, वर्ष 2021 में दूसरी अपील दायर किए जाने तक 15.03.2017 से देरी की अवधि की व्याख्या बिल्कुल नहीं की गई है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने विवेकपूर्ण तरीके से विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया है।

7. इस स्तर पर, अपील दायर करने में देरी पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया गया है और उन पर विचार किया गया है:

माजी सनेम्मा @सान्यासीराव बनाम। रेड्डी श्रीदेवी और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

7.1 रामलाल, मोतीलाल और छोटेलाल (उपरोक्त) के मामले में, यह निम्नानुसार मनाया और माना जाता हैः

एस के निर्माण में। 5 दो महत्वपूर्ण विचारों को ध्यान में रखना प्रासंगिक है। पहला विचार यह है कि अपील करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि की समाप्ति डिक्री धारक के पक्ष में पक्षकारों के बीच डिक्री को बाध्यकारी मानने के अधिकार को जन्म देती है। दूसरे शब्दों में, जब निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त हो जाती है तो डिक्री-धारक ने डिक्री को चुनौती से परे मानने के लिए सीमा के कानून के तहत लाभ प्राप्त किया है,

और यह कानूनी अधिकार जो समय के साथ डिक्री धारक को प्राप्त हुआ है, उसे हल्के-फुल्के मन से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा विचार जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है वह यह है कि यदि विलंब के लिए पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो न्यायालय को विलंब को माफ करने और अपील को स्वीकार करने के लिए विवेकाधिकार दिया जाता है। यह विवेकाधिकार जानबूझकर न्यायालय को दिया गया है ताकि न्यायिक शक्ति और उस पक्ष में विवेकाधिकार का उपयोग पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कृष्णा बनाम में देखा गया है। चट्टप्पन, (1890) जे. एल. आर. 13 मैड। 269 , " एस. 5 न्यायालय को एक विवेकाधिकार देता है जिसका उपयोग अधिकारिता के संबंध में उस तरीके से किया जाना चाहिए जिसमें न्यायिक शक्ति और विवेकाधिकार का उपयोग उन सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से समझे जाते हैं; 'पर्याप्त कारण' शब्द एक उदार निर्माण प्राप्त करते हैं ताकि जब कोई लापरवाही या निष्क्रियता न हो तो पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके।

और न ही ईमानदारी की कमी अपीलार्थी के लिए आरोप योग्य है।

7.2 पी. के. रामचंद्रन (उपरोक्त) के मामले में, 565 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए, यह देखा गया है कि देरी को माफ करने की मांग के लिए उचित, संतोषजनक या उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह आगे देखा गया है कि सीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोरता से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब क़ानून इस तरह से निर्धारित करता है तो इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू करना पड़ता है।

और न्यायालयों के पास न्यायसंगत आधारों पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। यह आगे देखा गया है कि विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए देरी को माफ करते हुए, अदालत को विवेकपूर्ण तरीके से विवेकाधिकार का प्रयोग करना होगा।

7.3 पुंडलिक जलम पाटिल (ऊपर) के मामले में, इसे इस रूप में देखा जाता है

इसके अंतर्गतः

" सीमा के कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित हैं। सीमा के कानूनों को कभी-कभी "शांति के कानूनों" के रूप में वर्णित किया जाता है। सीमा का एक असीमित और निरंतर खतरा असुरक्षा और [2021] 9 एस. सी. आर. पैदा करता है।

अनिश्चितता; सार्वजनिक व्यवस्था के लिए किसी प्रकार की सीमा आवश्यक है। यह सिद्धांत "ब्याज पुनः प्रकाशन और अंतिम निर्णय" उक्ति पर आधारित है, अर्थात, राज्य के हित के लिए आवश्यक है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, लेकिन साथ ही सीमा कानून धोखाधड़ी और झूठी गवाही को दबाने, परिश्रम को तेज करने और उत्पीड़न को रोकने के लिए निजी न्याय सुनिश्चित करने का एक साधन हैं। उद्देश्य के लिए मुकदमेबाजी के लिए समय-सीमा तय करना सामान्य कल्याण के उद्देश्य से कानूनी उपचार के लिए जीवनकाल तय करने वाली सार्वजनिक नीति पर आधारित है। वे यह देखने के लिए हैं कि पक्ष विलंबकारी रणनीति का सहारा न लें, बल्कि अपने कानूनी उपायों का तुरंत लाभ उठाएं। सैल्मंड ने अपने न्यायशास्त्र में कहा है कि कानून सतर्क लोगों की सहायता के लिए आते हैं न कि

नींद में "।

7.4 बसावराज (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि देरी को माफ करने के विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से। यह आगे देखा गया है कि "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति की उदारतापूर्वक व्याख्या नहीं की जा सकती है यदि लापरवाही, निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है

पार्टी को। यह आगे देखा गया है कि भले ही सीमा किसी पक्ष के अधिकारों को कठोर रूप से प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसे क़ानून द्वारा निर्धारित किए जाने पर अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। यह आगे देखा गया है कि यदि किसी पक्ष ने लापरवाही, ईमानदारी की कमी या निष्क्रियता के साथ काम किया है तो शर्तों को लागू करके भी देरी को माफ करने के लिए कोई उचित आधार नहीं हो सकता है। यह देखा गया है कि विलंब की माफी के लिए प्रत्येक आवेदन पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित ढांचे के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। यह आगे देखा गया है कि यदि अदालतें देरी को माफ करना शुरू कर देती हैं, जहां शर्तों को लागू करके कोई पर्याप्त कारण नहीं बनाया जाता है, तो यह वैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा और विधायिका की घोर अवहेलना होगी।

7.5 पुंडलिक जलम पाटिल (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि न्यायालय विलंबित और पुराने दावों की जांच नहीं कर सकता है। इक्विटी का आधार। देरी इक्विटी को हरा देती है। अदालतें उन लोगों की मदद करती हैं जो सतर्क हैं और "अपने अधिकारों पर सोते नहीं हैं"।

8. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना

मामले के तथ्यों पर निर्णय और विलंब की माफी के लिए आवेदन में किए गए कथनों पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि प्रतिवादी संख्या द्वारा पर्याप्त या संतोषजनक स्पष्टीकरण से कम कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। 1 और इसमें 2-दूसरी अपील को प्राथमिकता देने में 1011 दिनों की भारी देरी की माफी के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता। उच्च न्यायालय अपने माजी सनेम्मा @सान्यासीराव बनाम का प्रयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं है।

रेड्डी श्रीदेवी

& ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

इतनी बड़ी देरी को माफ करने का विवेकाधिकार। उच्च न्यायालय ने विवेकपूर्ण तरीके से विवेक का प्रयोग नहीं किया है। उच्च न्यायालय द्वारा 1011 दिनों की भारी देरी को माफ करते हुए दिया गया तर्क सही नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने वरीयता देने में 1011 दिनों की भारी देरी को माफ करने में गलती की है

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति है। विवादित आदेश दिनांक 16.09.2021 पारित किया गया उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी सं. द्वारा दूसरी अपील को प्राथमिकता देने में 1011 दिनों की देरी को माफ करते हुए। 1 और यहाँ 2 को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। नतीजतन, 2021 की दूसरी अपील No.331 द्वारा पसंद की गई

उत्तरदाता सं। 1 और इसमें 2 को देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया है। वर्तमान अपील तदनुसार अनुमत है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई